छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक 3267/2010

एम. राम नारायण, प्रसाद राव, पुत्र स्वर्गीय श्री एम. सूर्या आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी 27 खोली, विकास नगर, बिलासपुर, वर्तमान में सहायक ग्रेड II, पशु चिकित्सा पशु प्रजनन विभाग, फार्म पेंड्रा पकरिया, रोड, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

--याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, विभाग, मंत्रालय, कृषि एवं सचिव, पशुपालन डी.के.एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं निदेशालय, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. संयुक्त निदेशक, भवन, पशु चिकित्सा विपरीत सेवाएं, समग्र कलेक्ट्रेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---प्रतिवादी

रिट याचिका (एस) संख्या 3286/2010

एम.एस. सहगल, पुत्र स्वर्गीय बी.एस. सहगल, आयु लगभग 48 वर्ष, संयुक्त निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में सहायक ग्रेड III के पद पर कार्यरत।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, पशु चिकित्सा विभाग, डी.के.एस. भवन, छत्तीसगढ़ के माध्यम से। सचिव, रायपुर
2. निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. संयुक्त निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---प्रतिवादी

WPS/3267/2010 में याचिकाकर्ता के लिए: श्री पी. आचार्य, अधिवक्ता
WPS/3268/2010 में याचिकाकर्ता के लिए: श्री विनोद देशमुख, अधिवक्ता
प्रतिवादी/राज्य के लिए: श्री अनिमेष तिवारी, उप ए.जी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल बोर्ड पर आदेश (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) 12/07/2021

1. चूंकि इन दोनों रिट याचिकाओं में तथ्य और कानून का सामान्य प्रश्न शामिल है, इसलिए इनकी एकसाथ सुनवाई की जा रही है और इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दो याचिकाकर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय जांच में, यहां और अनुशासनात्मक (प्रतिवादी क्रमांक 2 यहां) 15/01/2009 (अनुलग्नक पी 6) के तहत दो अन्य प्राधिकरण के आदेश दिनांकित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में 'नियम 1966') तटस्थ उद्धरण 2021: सीजीएचसी: 13476 3 के नियम 10 (iv) के तहत मामूली जुर्माना लगाया गया है, जिसमें गैर-संचयी प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है। याचिकाकर्ताओं ने (अनुलग्नक पी 6) और अंतिमता पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन 02/06/2010 (अनुलग्नक आदेश) को उसके बाद पी 1 कहा गया, 15/01/2009 को प्राप्त आदेश के अनुसार अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ताओं की तीन वार्षिक वेतन वृद्धि को गैर-संचयी प्रभाव से रोकने के अपने पहले के आदेश (अनुलग्नक पी 6) को रद्द कर दिया और इसे याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक से 7,50,000/- रुपये की वसूली के आदेश के साथ प्रतिस्थापित किया, जिसे अब याचिकाकर्ताओं ने इन दोनों रिट याचिकाओं के माध्यम से सवाल में उठाया है।

3. श्री पी. आचार्य, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील डब्ल्यूपीएस संख्या 3267/2010 में, और श्री विनोद देशमुख, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील डब्ल्यूपीएस संख्या 3268/2010 में, दोनों ने यह दलील दी कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकरण (प्रतिवादी संख्या 2) को 1966 के नियमों के तहत समीक्षा की शक्ति नहीं दी गई है, क्योंकि यह केवल अपीलीय प्राधिकरण को 1966 के नियमों के नियम 29(1) के तहत दी गई है, इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण (प्रतिवादी संख्या 2) अपने पहले के आदेश दिनांक 15/01/2009 को रद्द नहीं कर सकता था। (अनुलग्नक पी6) 4 याचिकाकर्ताओं की वार्षिक वेतन वृद्धि पर तीन प्रतिशत की मामूली रोक लगाई गई है, जिसका गैर-संचयी प्रभाव है और फिर इसे 02/06/2010 (अनुलग्नक P1) के विवादित आदेश के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था, जो

1966 के नियम 10(iii) के तहत प्रत्येक याचिकाकर्ता से 7,50,000/- रुपये की वसूली के लिए पारित किया गया था और वह भी बिना किसी निष्कर्ष को दर्ज किए कि याचिकाकर्ताओं की ओर से लापरवाही या आदेश के उल्लंघन के कारण राज्य सरकार को हुए नुकसान के कारण याचिकाकर्ताओं से ऐसी राशि वसूली योग्य है। 1966 के नियम 10(iii) के अंतर्गत अपेक्षित है, अतः विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4. प्रतिवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री अनिमेष तिवारी ने विवादित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कदाचार के कारण भारी नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार के आदेश के अनुसार अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने प्रत्येक याचिकाकर्ता से 7,50,000/- रुपये की हानि की वसूली का निर्देश दिया है, इस प्रकार रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों का अध्ययन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यह विभागीय विवाद में नहीं है कि कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ दो अन्य कर्मचारियों, निदेशक, संख्या 2 पशु चिकित्सा, जो कि सेवा अर्थात अनुशासनात्मक प्रतिवादी प्राधिकरण है, के खिलाफ नियमित कार्यवाही में 1966 के नियम 10(iv) के अर्थ में मामूली दंड लगाया गया था और याचिकाकर्ताओं के तीन वार्षिक वेतन वृद्धि को गैर संचयी प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया था दिनांक 15/01/2009 (अनुलग्नक पी 6) के आदेश के तहत और उक्त आदेश पर सवाल नहीं उठाया गया था याचिकाकर्ताओं और यह पहले ही अंतिम हो गया था। इसके बाद दिनांक 02/06/2010 अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने रद्द किए गए संपादनों के अनुसार आक्षेपित किया था और उसके पास आदेश (अनुलग्नक पी1) था, (प्रतिवादी सं.2) ने सरकार के पहले के आदेश को (अनुलग्नक पी6) के पहले से तीन वार्षिक वेतनवृद्धि को असंचित प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया था और इसके स्थान पर प्रत्येक याचिकाकर्ता से 7,50,000/- रुपये की वसूली का आदेश दिया।

7. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2, अनुशासनिक प्राधिकारी होने के नाते, 15/01/2009 (अनुलग्नक पी 6) के अपने पूर्व आदेश को रद्द करने में न्यायोचित था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नियम की तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का मामूली जुर्माना लगाया गया था, उस आदेश की 10(iv) के साथ, जो 1966 के आदेश के साथ गैर-संचयी नियमों को प्रतिस्थापित करता है और 1966 के नियम 10(iii) के तहत प्रत्येक याचिकाकर्ता से ₹ 7,50,000/- की वसूली के लिए पारित 02/06/2010 (अनुलग्नक पी 1) को प्रभावी बनाता है?

8. यह सुस्थापित कानून है कि न्यायालय या न्यायिक कार्य करने वाले निकाय में समीक्षा की कोई अंतर्निहित शक्ति निहित नहीं है। समीक्षा की शक्ति क़ानून द्वारा निर्मित है और जब तक क़ानून में स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण में पहले से लिए गए निर्णय की समीक्षा करने की कोई शक्ति निहित नहीं है।

9. यह सर्वमान्य है कि किसी भी प्राधिकारी के पास समीक्षा करने की अंतर्निहित शक्ति नहीं है।

पटेल हर्षी ठाकरशी बनाम श्री प्रद्युम्नसिंहजी अर्जुनसिंहजी 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना है: "यह सर्वमान्य है कि समीक्षा करने की शक्ति अंतर्निहित शक्ति नहीं है। इसे कानून द्वारा या तो विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया जिससे यह पता चले कि सरकार के पास अपने आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। यदि सरकार के पास अपने आदेश की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी, तो यह स्पष्ट है कि उसका प्रतिनिधि उसके आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मेजर चंद्रभान सिंह बनाम लतीफत उल्लाह खान 2 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि समीक्षा कानून का विषय है और हरभजन सिंह बनाम करम सिंह 3 और पटेल चुन्नीभाई दाजीभाई बनाम नारायणराव खंडेराव जांबेकर 4 के मामले में अपने पहले के निर्णयों पर भरोसा करते हुए इसके लिए किसी प्रावधान के अभाव में इस पर विचार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, उपर्युक्त सिद्धांत प्रशासनिक निकायों पर भी लागू होगा जो कभी-कभी ऐसे निर्णय लेते हैं जो प्रकृति में अर्ध-न्यायिक होते हैं। इस प्रकार, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने की कोई शक्ति और अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह 1966 के नियमों द्वारा प्रदान नहीं किया गया है जो सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है।

1 AIR 1970 SCC 1273
2 (1979) 1 SCC 321
3 AIR 1966 SC 641
4 AIR 1965 SC 1457

11. 1966 के नियम 29(1) में समीक्षा का प्रावधान है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:

“29. (1) इन नियमों में नियम 11 को छोड़कर किसी भी बात के होते हुए भी

(i) राज्यपाल; या

(ii) राज्य सरकार के सीधे अधीन किसी विभाग का प्रमुख, ऐसे विभाग प्रमुख के नियंत्रण में किसी विभाग या कार्यालय (सचिवालय न हो) में सेवारत किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में, या (

iii) अपीलीय प्राधिकारी, समीक्षा किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश की तिथि से छह महीने के भीतर, या

(iv) राज्यपाल द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी, और ऐसे सामान्य या विशेष आदेश में निर्धारित समय के भीतर किसी भी समय, या तो अपनी या अपनी गति से या अन्यथा किसी भी जांच के अभिलेखों को मांग सकता है और इन नियमों के तहत या नियम 34 द्वारा निरस्त नियमों के तहत किए गए किसी भी आदेश की समीक्षा कर सकता है जिसके खिलाफ अपील की अनुमति है लेकिन जिसके खिलाफ कोई अपील पेश नहीं की गई है या जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है आयोग से परामर्श के पश्चात्, जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो, अनुमति दी जाती है, तथा

(क) आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे निरस्त कर सकता है; या

(ख) आदेश द्वारा लगाए गए दंड की पुष्टि, कमी, वृद्धि या निरस्त कर सकता है, या जहां कोई दंड नहीं लगाया गया है, वहां कोई दंड लगा सकता है; या

(ग) मामले को उस प्राधिकारी को भेज सकता है जिसने आदेश दिया था या किसी अन्य प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वह मामले की परिस्थितियों में आगे की जांच करे, जैसा वह उचित समझे; या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित करना जैसा वह उचित समझे: बशर्ते कि कोई भी दंड लगाने या बढ़ाने का कोई भी आदेश किसी भी समीक्षा प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो और जहां इसे लगाने का प्रस्ताव है; नियम 10 के खंड

(v) से (ix) में निर्दिष्ट किसी भी दंड का उल्लंघन करने या समीक्षा किए जाने वाले आदेश द्वारा लगाए गए दंड को उन खंडों में निर्दिष्ट किसी भी दंड में बढ़ाने के लिए, नियम 14 में निर्धारित तरीके से जांच के बाद और आयोग के परामर्श के बाद ही ऐसा कोई दंड लगाया जाएगा, जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है: आगे यह भी प्रावधान है कि विभाग के प्रमुख द्वारा समीक्षा करने की कोई शक्ति तब तक प्रयोग नहीं की जाएगी जब तक कि:

(I) वह प्राधिकारी जिसने अपील में आदेश दिया है; या

(ii) वह प्राधिकारी जिसके पास अपील होगी, जहां कोई अपील पेश नहीं की गई है, उसके अधीनस्थ है।"

12. उपर्युक्त नियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह पता चलेगा कि समीक्षा की शक्ति सीधे राज्यपाल को, किसी विभाग के प्रमुख राज्य सरकार, अपीलीय प्राधिकारी या राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को प्रदान की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं न तो किसी विभाग या कार्यालय में सेवारत सरकारी कर्मचारी के मामले में सीधे राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग का प्रमुख है और न ही वह तटस्थ अपीलीय प्राधिकारी है, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी है और इसके अलावा उसने यह नहीं दिखाया है कि उसे राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2, अनुशासनिक प्राधिकरण होने के नाते, अपने अधिकार क्षेत्र की समीक्षा करने तथा बिना किसी पूर्व आदेश के समीक्षा करने का कार्य, 1966 के नियमों में इसके लिए प्रावधान के अभाव में, दोष के अधिकार के बिना है।

14. दिनांक 02/06/2010 (अनुलग्नक पी 1) के आरोपित आदेश को बरकरार न रखने का एक और कारण है। 15/01/2009 (अनुलग्नक पी 6) के आदेश को अधिक्रमित करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ताओं पर नियम 10 (iv) 1966 के अन्तर्गत गैर संचयी प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का मामूली जुर्माना लगाया गया था, अब नियम 10 (iii) 1966 के अन्तर्गत मामूली जुर्माना लगाया गया है तथा प्रत्येक याचिकाकर्ता से ₹ 7,50,000/- की वसूली का आदेश पारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. 1966 के नियम 10(iii) में कहा गया है: “10. दंड। अच्छे और पर्याप्त कारणों से और जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया है, सरकारी कर्मचारी पर निम्नलिखित दंड लगाए जा सकते हैं, अर्थात्: छोटे दंड:

(I)XXXX

(ii)XXXX

(iii) उसके द्वारा लापरवाही या आदेश के उल्लंघन से सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक राशि उसके वेतन से वसूल करना;”

16. उपर्युक्त नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारी के वेतन से किसी भी आर्थिक हानि की वसूली का दंड तभी लगाया जा सकता है जब यह पाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा लापरवाही या आदेश के उल्लंघन से सरकार को हुई हानि हुई है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं को ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है जिसमें उन्हें बताया गया हो कि उनकी लापरवाही या आदेश के उल्लंघन के कारण सरकार को हुए नुकसान के लिए वे जिम्मेदार हैं। यहां तक कि दिनांक 02/06/2010 (अनुलग्नक पी1) का आरोपित आदेश भी स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाता है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता से ₹ 7,50,000/- की कथित आर्थिक हानि सरकार को याचिकाकर्ताओं की ओर से लापरवाही या आदेश के उल्लंघन के कारण हुई है, जो कि 1966 के नियम 10(iii) के तहत जुर्माना लगाने के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक याचिकाकर्ता के निर्देश से ₹ (अनुलग्नक पी1 से 7,50,000/- रुपये के आदेश की आरोपित

वसूली में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की लापरवाही या आदेश के उल्लंघन के कारण सरकार को उक्त हानि हुई है।

17. उपर्युक्त विधिक विश्लेषण के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 02/06/2010 (अनुलग्नक पी1) का विवादित आदेश, जो उसके पिछले आदेश (अनुलग्नक पी6) को प्रतिस्थापित करता है, निरस्त किए जाने योग्य है तथा दिनांक 15/01/2009 (अनुलग्नक पी6) का पिछला आदेश बहाल किया जाता है।

18. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इन दोनों रिट याचिकाओं को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है। कोई लागत नहीं।

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यूपीएस संख्या 3267/2010

याचिकाकर्ता एम. राम प्रसाद राव

बनाम

प्रतिवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

डब्ल्यूपीएस संख्या 3286/2010

याचिकाकर्ता एम.एस. सहगल

बनाम

प्रतिवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अंग्रेजी)

अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास मामूली सजा देने के अपने आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार और अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**